

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।  
क्रमांक : राजपत्रित/पीजी-2018/पीसीपीएनडीटी/2018/659 दिनांक : 25/06/2018

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/  
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी एवं  
समस्त नियंत्रण अधिकारी  
राजस्थान

विषय:-सोनोग्राफी कोर्स 2018 (पीसीपीएनडीटी एक्ट-1994 एवं नियम-2014) में  
उपस्थिति प्रस्तुत करने बाबत।  
संदर्भ:-चैयनमैन, नीट पीजी काउन्सिलिंग-2018 एवं प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक के आदेश  
क्रमांक 17707 दिनांक 19.6.18 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश द्वारा 6 माह सोनोग्राफी कोर्स (पीसीपीएनडीटी  
एक्ट-1994 एवं नियम-2014) के तहत दिनांक 18.06.2018 को काउन्सिलिंग आयोजित कर  
अभ्यर्थियों को नीट पीजी-2018 की योग्यता सूची के अनुसार मेरिट क्रम प्राथमिकता के आधार  
पर उनके नाम सम्मुख अंकित मेडिकल कॉलेज में आवंटन किया गया है। चयनित चिकित्सकों  
की पीसीपीएनडीटी कोर्स में कार्यग्रहण की अन्तिम तिथि 25.05.18 है।

अतः सलग्न चयन सूची के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीन  
पदस्थापित चिकित्सकों को जिनका सेवारत कोटे से चयन हुआ है को आवंटित मेडिकल कॉलेज  
में कार्यग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त करें (चार्ज हेण्डऑवर, टेकन ऑवर के पश्चात) तथा कार्यमुक्ती  
की पालना रिपोर्ट निदेशालय को अविलम्ब भिजवायें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

ED  
निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/पीजी-2018/पीसीपीएनडीटी/2018/659 दिनांक : 25/06/18  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कॉलेज, जयपुर/जोधपुर/  
अजमेर/बीकानेर/उदयपुर/कोटा/झालावाड
4. निदेशक (ईएसआई/मोबाईल सर्जिकल यूनिट) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान,  
जयपुर।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान को प्रेषित कर निर्देशित किया  
जाता है कि आपके अधिनस्थ जिलों में पदस्थापित चिकित्सकों को पीसीपीएनडीटी कोर्स 2018  
में कार्यग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त करवाने की कार्यवाही कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत  
करायें।  
6. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र मय सूची विभागीय  
टैब-साईट पर अप-लोड कर सम्बन्धित को ई-मेल द्वारा भिजवायें (सूची सलग्न)।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर।